न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा (राज.)
पीठासीन अधिकारी— अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	दायरा तिथि	फैसल तारीख
34 / 2023	06.04.2023	04.08.2023

बउनवान

1— कालूलाल वर्मा पुत्र गंगाबिशन जाति बैरवा निवासी बालिता आवासीय योजना कुन्हाडी कोटा हाल नोहरा तहसील लाडपुरा

2— रामचरण पुत्र श्री हजारीलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रपुरिया तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।

— वादीगण

बनाम

1— प्रेमबाई पत्नि हुकमचन्द जाति नायक निवासी इटावा,तह0 पीपल्दा,जिला कोटा राज0

2— मंजू पुत्री शांतिबाई पत्नि रतन जी जाति कोली निवासी इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी मठेपुरा तहसील एवं जिला श्योपूर म0प्र0।

3— राजेश पुत्र शांतिबाई जाति कोली निवासी इटावा तह0 पीपल्दा हाल निवास 106 ए रेलवे पाठक के पास संजय गॉधी नगर — ए कोटा

4— कन्याबाई पत्नि कल्याण जाति कोली निवासी इटावा, तहसील पीपल्दा

5— राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू0अ0क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नई 927 पुरानी 902 में खसरा नम्बर 1210 / 2732 रकबा 0.94 है0 ख.न. 3104 / 1210 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.00 है0 भूमि स्थित है। वाद पत्र में जिसे आगे विवादित आराजीयात् सम्बोधित किया गया है।

यह है कि खातेदार राजेन्द्र की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान में केवल उसकी माता प्रतिवादी कम 4 है, जो आवश्यक पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया है।

उक्त विवादित कृषि आराजी संयुक्त आराजी में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 29 / 84–29 / 84 तथा प्रतिवादीगण कम 1 का 1 / 7 हिस्सा व प्रतिवादी कम 2 व 3 का 1 / 14 हिस्सा व प्रतिवादी कम 4 का

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

1/42 हिस्सा निहित है तथा वादीगण अपने अपने निहित हिस्से पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

यह है कि उक्त कृषि आराजी संयुक्त खाते में होने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 4 व उनके प्रतिनिधि आये दिन वादीगण के कब्जा काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने लग गये है तथा विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादीगण को विवादित आराजी का लगान, पिलाई आदि जमा करवाने तथा अपने--अपने हिस्से की कृषि भूमि पर विकास कार्यों को करवाने आद्धि में काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 ता 4 के मध्य विवादित आराजी को लेकर आये दिन वाद विवाद होता रहता है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 से कई बार वादीगण द्वारा विभाजन करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन करवाने को तैयार नहीं है। इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में वह अपने निहित 29/84--29/84 हिस्से की कृषि आराजी का विभाजन करवाये तथा पृथक खाता लगान कायम करवाये।

यह है कि विवादित आराजी में वादीगण 29/84--29/84 हिस्से के सहखातेदार व काबिजी कृषक हैं किन्तु प्रतिवादी कम 1 ता 4 विवादित आराजी पर वादीगण के मौलिक बंटवारे एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा व अतिकमण करने पर आमादा है। वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं। वाद कारण दिनांक 29.03.2023 को प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा वादीगण को बेदखल करने व विवादित आराजी को खुर्द--बुर्द रहन, बेचान करने की धमकी देने से उत्पन हुआ है। इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी पारित फरमावे की ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू0अ0क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नई 927 पुरानी 902 में खसरा नम्बर 1210/2732 रकबा 0.94 है0 ख.न. 3104/1210 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.00 है0 भूमि में वादीगण के निहित 29/84--29/84 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे तदनुरूप नक्शे में तरमीम फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी कम 2 ता 4 की ओर से वकील पृथ्वीराज वैष्णव द्वारा वकालतनाम पेश किया। प्रतिवादी कम 01 को जारी रजिस्टर्ड़ ए.डी. समन्न की रसीदे पेश हुई। समन्न की रसीद के साथ डाक विभाग द्वारा पक्षकारों को समन्न प्राप्त होना अंकित किया है। अतः प्रतिवादी कम 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

है। प्रतिवादी 2 ता 4 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं. 2 स्वीकार है मेरे एक मात्र पुत्र राजेन्द्र की मृत्यु हो चुकी तथा राजेन्द्र की एक मात्र वारिस प्रतिवादी कम 4 है। मृतक राजेन्द्र के स्थान पर मुस. प्रति कम 4 कन्याबाई को खातेदार घोषित किया जावे। जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक वादपत्र दावा डिकी फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है ऐसी स्थिति में तनकीयात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी 2 ता 4 द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है अतः पत्रावली में अन्य कोई साक्ष्य इत्याद्धि प्रस्तुत नहीं किये जाने है अतः मुताबिक वादपत्र स्वीकार कर लिया जावे।

पत्रावली में वकील वादी एवं प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा कोई साक्ष्य इत्याद्धि पेश नहीं करने से पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई व बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 2 ता 4 द्वारा निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी कम 2, 3, 4 द्वारा वादी को अपने हिस्से की आराजी विकय करने का इकरार कर लिया है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी कम 2 ता 4 को अपने हिस्से की आराजी पास–पास में दी जावे, ताकि कोई विवाद की स्थिति वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य पैदा न हो सके।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं जवाब दावा का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू0अ0निरीक्षक इटावा में खाता सं. नया 927 पुराना 902 के ख.न. 1210/2732 एवं 3104/1210 में कालूलाल वर्मा पुत्र गंगा बिशन हिस्सा 29/84,प्रेमबाई पुत्री हुकमचंद हिस्सा 1/7,राजेन्द्र पुत्र कल्याण हिस्सा 1/42, राजेश पुत्र शांतिबाई हिस्सा 1/14,रामचरण पुत्र हजारीलाल हिस्सा 29/84 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। विवादित आराजीयात् में खातेदार राजेन्द्र पुत्र कल्याण हिस्सा 1/42 की लाऔलाद मृत्यु होना वाद पत्र में अंकित किया है तथा प्रतिवादी कम 4 द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि मृतक राजेन्द्र का कोई अन्य वारिस नहीं होने से प्रतिवादी 04 मृतक राजेन्द्र की माता एवं एकमात्र विधिक वारिस होने से प्रतिवादी कम 4 को मृतक राजेन्द्र के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में विवादित आराजीयात् में पक्षकार अपने हिस्से की आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजीयात ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू0अ0क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नई 927 पुरानी 902 में खसरा नम्बर 1210/2732 रकबा 0.94 है0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

ख.न. 3104/1210 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.00 है0 भूमि में भूमि में मृतक राजेन्द्र पुत्र कल्याण हिस्सा 1/42 का प्रतिवादी कम 4 कन्याबाई को खातेदार कृषक घोषित जाता है। खातेदारों के मध्य अपने-अपने हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 4 के हिस्से की आराजी एक साथ लगती हुई प्रस्तावित की जावे व प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी को एकतरफ रखते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाया जावे। विभाजन प्रस्ताव बनाते हुए यह ध्यान रखा जावे कि सभी सहखातदारों को पहुंच मार्ग उपलब्ध हो। प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय आर0टी0एक्ट बोर्ड ऑफ रेवन्यू रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तिथि से पूर्व न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

"1"

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1– कालूलाल वर्मा पुत्र गंगाबिशन जाति बैरवा निवासी बालिता आवासीय योजना कुन्हाडी कोटा हाल नोहरा तहसील लाडपुरा
2– रामचरण पुत्र श्री हजारीलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रपुरिया तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी।

– वादीगण

बनाम

1– प्रेमबाई पत्नि हुकमचन्द जाति नायक निवासी इटावा,तह0 पीपल्दा,जिला कोटा राज0
2– मंजू पुत्री शांतिबाई पत्नि रतन जी जाति कोली निवासी इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी मठेपुरा तहसील एवं जिला श्योपूर म0प्र0।
3– राजेश पुत्र शांतिबाई जाति कोली निवासी इटावा तह0 पीपल्दा हाल निवास 106 ए रेलवे पाठक के पास संजय गॉधी नगर – ए कोटा
4– कन्याबाई पत्नि कल्याण जाति कोली निवासी इटावा, तहसील पीपल्दा
5– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,88,89,188 आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू0अ0क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या नई 927 पुरानी 902 में खसरा नम्बर 1210/2732 रकबा 0.94 है0 ख.न. 3104/1210 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.00 है0 भूमि में मृतक राजेन्द्र पुत्र कल्याण हिस्सा 1/42 का प्रतिवादी कम 4 कन्याबाई को खातेदार कृषक घोषित जाता है। खातेदारों के मध्य अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 4 हिस्से की आराजी एक साथ लगती हुई प्रस्तावित की जावे व प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी को एकतरफ रखते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाया जावे। विभाजन प्रस्ताव बनाते हुए यह ध्यान रखा जावे कि सभी सहखातदारों को पहुंच मार्ग उपलब्ध हो। प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय आर0टी0एक्ट बोर्ड ऑफ रेवन्यू रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तिथि से पूर्व न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 04.08.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा।